

सेवा में,

श्रीमान् जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,  
हाथरस।

विषय—अनापत्ति के सम्बन्ध में।

श्रीमानजी,

निवेदन है कि प्रार्थी विद्यालय एम0जे0पी0एस0 लिंक रोड, मढनई, सादाबाद ने दिनांक 18.12.2015 को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम की धारा 18 के प्रायोजन के लिये निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम 04 के अधीन मान्यता प्राप्त की थी। जिस आधार पर प्रार्थी विद्यालय ने सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्ध होने के लिये आवेदन किया है।

महोदय से सविनय निवेदन है कि इसके लिये अपनी सहमति प्रदान करने की कृपा करें।

Y.S. Choudhary  
कार्यालय  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
हाथरस

मुनेश कुमार  
Manager  
M.J. Public School  
Sadabad (Hathras)

प्रार्थी

एम0जे0 पब्लिक स्कूल  
मढनई लिंक रोड, सादाबाद (हाथरस)

प्रिय,

जिला बालिक शिक्षा अधिकारी

हाथरस।

मेरा मैं,

प्रबन्धक, एम०जे०पब्लिक स्कूल,

मदनई, सादाबाद, जनपद हाथरस।

पत्रांक: 11938-39

/2015-16, दिनांक: 12-12-2015

विषय:- नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन (हिन्दी माध्यम/अंग्रेजी माध्यम) का नवीन अस्थाई मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पञ्चाद्वती पत्राचार विभाग के पूर्व निर्देश में, एम०जे०पब्लिक स्कूल, मदनई, सादाबाद, जनपद हाथरस विद्यालय का नाम, पते सहित) को तारीख 01.07.2015 से तारीख 30.06.2018 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए कक्षा नमंरी में 08 तक अंग्रेजी माध्यम के लिए अंतिम अस्थाई मान्यता प्रदान करने की संसूचना देना है।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्वधीन है:-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पञ्चाद्वती मान्यता संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबंध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नमंरी कक्षा में), उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूर्ति किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कॅंपिशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्कॉनिंग के अध्वधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सम्युक्त न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुविधाएं करेगा:-

कुंज कुंज

Manager


M.J. Public School  
Sadabad (Hathras)

Principal

M. J. PUBLIC SCHOOL  
Raya Road, Sadabad (Hathras)

- क. प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
- ख. किसी भी बालक का शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अधीन नहीं किया जाएगा।
- ग. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
- घ. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा।
- ङ. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्ता/ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।
- च. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इम अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- छ. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और
- ज. अध्यापक स्वयं को किसी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलाई जाएंगी।
9. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
10. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय पृवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय दाय चलाया जा रहा है।
11. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं व्यक्तियों के लाभों के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
12. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।



  
Manager

M. J. Public School  
Sadabad (Hathras)

  
Principal

M. J. PUBLIC SCHOOL  
Raya Road, Sadabad (Hathras)

13. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और सुनिश्चित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के लिए पत्र अनुदेशों का पालन करता है; जो मान्यता संबंधों शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करेंगे या विद्यालय के कार्यक्रमों की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
14. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
15. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
16. विद्यालय में अनियमितता पाये जाने पर विभागीय निर्देशों/आदेशों का पालन न करने पर प्रदत्त मान्यता का किसी भी समय प्रत्याहरण किया जा सकता है।

(देवेन्द्र गुप्ता)  
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
हाथरस

पृ.सं./

/2015-16/

दिनांक उक्तवत्।

- प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
1. खण्ड शिक्षा अधिकारी, विकास खण्ड हाथरस जनपद-हाथरस।
  2. नगर शिक्षा अधिकारी, नगर क्षेत्र हाथरस/सिकन्दराराऊ, जनपद-हाथरस।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
हाथरस।

(Signature)  
Manager  
M. J. Public School  
Sadabad (Hathras)

(Signature)  
Principal  
M. J. PUBLIC SCHOOL  
Raya Road, Sadabad (Hathras)